दिनांक–24.04.2026 को मध्याह्न 12:00 बजे विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पत्थर भू–खण्डों की बंदोबस्ती के संबंध में आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2. सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना।
3. सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
4. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
5. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
6. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
7. विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना।
8. निदेशक, पुरातत्व निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना।
9. निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
10. क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। पत्थर भू–खण्डों की बंदोबस्ती के समीक्षा के क्रम में निम्न तथ्य स्पष्ट हुए :–

1. बैठक में निदेशक, खान द्वारा राज्य में पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती की अद्यतन स्थिति के संदर्भ में अवगत कराया गया। शेखपुरा, औरंगाबाद, नवादा, गया, कैमूर एवं बाँका जिलों से 41 पत्थर भूखण्डों के लिए वन भूमि, कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पर्यटन के महत्व के संबंध में अनापत्ति की मांग की गयी थी, जिसमें 10 पत्थर भूखण्डों पर आपत्ति प्राप्त हुआ एवं शेष पत्थर भूखण्डों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।

2. वर्तमान में बिहार राज्यान्तर्गत कार्य विभागों के परियोजनाओं में व्यवहृत होने वाले स्टोन चिप्स/मेटल/जी0एस0बी0 आदि का क्रय मुख्यतः अन्य राज्यों से किया जा रहा है।

3. राज्यान्तर्गत गया, शेखपुरा, बाँका, औरंगाबाद, नवादा एवं कैमूर जिला में जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें तीन पत्थर भूखण्डों के लिए पर्यटकीय दृष्टिकोण से आपत्ति दर्ज की गई है। आपत्ति दर्ज पत्थर भूखण्ड की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	जिला	पत्थर भूखण्ड का नाम	दर्ज आपत्ति
01	शेखपुरा	कटनी कोल, भूखण्ड संख्या–15	महाभारतकालीन गिरिन्डा पर्वत/पर्यटन स्थल के समीप

02	औरंगाबाद	पचार, भूखण्ड संख्या–02	पारस नाथ मंदिर के समीप
03	कैमूर	मौजा–मदुरना, प्लॉट संख्या–4048 (अंश)	बख्तियार शाह सूरी के मकबरे के समीप

4. उक्त पत्थर भूखण्डों के अतिरिक्त 06 खनन पट्टा Eco Sensitive Zone में अवस्थित होने के कारण तथा 01 खनन पट्टा से वन क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना के कारण आपत्ति दर्ज की गई है, जो निम्न प्रकार है :–

क्र0	**जिला का नाम**	**पत्थर भूखण्ड सं0 / मौजा**		**अभ्युक्ति**
1	नवादा	1	पत्थर भूखण्ड सं0–03 / रजौली	सभी पत्थर भूखण्ड रजौली वन्य जीव अभ्यारण के ईको संसेटिव जोन के 10 KM की परिधि के अन्दर अवस्थित है।
2		2	पत्थर भूखण्ड सं0–01 / रजौली।	
3		3	पत्थर भूखण्ड सं0–02 / रजौली।	
4		4	पत्थर भूखण्ड सं0–04 / रजौली।	
5		5	पत्थर भूखण्ड सं0–05 / रजौली।	
6		6	पत्थर भूखण्ड सं0–06 / रजौली।	
7	औरंगाबाद	1	पत्थर भूखण्ड सं0–01 / सढईल	पत्थर भूखण्ड वन क्षेत्र के काफी समीप होने के कारण वन क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना।

5. समीक्षोपरान्त विकास आयुक्त, बिहार द्वारा निम्न निदेश दिया गया :–

i. नवादा जिलान्तर्गत Eco Sensitive Zone में पड़ने वाले 06 पत्थर भूखण्डों का Geo-reference के आधार पर KML file तैयार कराकर वन विभाग को प्रतिवेदित करते हुए Relevant Permission लेने के संबंध में अनुरोध किया जाय एवं वन विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय।

ii. औरंगाबाद जिलान्तर्गत पत्थर भूखण्ड संख्या–01 का Geo-reference के आधार पर KML file तैयार कराकर वन विभाग को प्रतिवेदित करते हुए पत्थर भूखण्ड संख्या–01 एवं वन क्षेत्र की सीमा निर्धारण करने हेतु वन विभाग से अनुरोध की जाय।

iii. उपरोक्त आपत्ति प्राप्त 10 पत्थर भूखण्डों को छोड़कर 07 जिलों यथा गया, शेखपुरा, बाँका, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर एवं रोहतास में चिन्हित पत्थर भूखण्ड जिसपर वन भूमि, कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पर्यटन के महत्व के संबंध में अनापत्ति प्राप्त है एवं जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रारूप तैयार कर ली गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है, की बंदोबस्ती हेतु शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(मिहिर कुमार सिंह)
विकास आयुक्त,
बिहार।

ज्ञापांकः– 01/लघु खनन(स्टो0)–05/16.........................एम0, पटना, दिनांक :–.....................

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना /क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मनेश कुमार मीणा)
निदेशक, खान

ज्ञापांकः– 01/लघु खनन(स्टो0)–05/16....2769........एम0, पटना, दिनांक :–25/04/26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/तकनीकी कोषांग/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने) हेतु प्रेषित।

निदेशक, खान